संख्या– 177 /VI-I/2008–2(19)07

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग : देहरादून दिनांक : 25 मार्च, 2008

विषय :–पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2160/सं.नि.उ./2–3/2007–08 दिनांक–16–2–08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक प्रकरण में रू0 40.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्त एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार एवं संलग्नक–क के अनुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुरितका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुरितका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

5. उपरोक्त व्यय निम्नानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 25–कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित रू0 54.00 लाख में हो रही बचतों से रू0 40.00 लाख को अनुदान संख्या–11–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन 03– सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42 अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत में पुनर्विनियोग के माध्यम से पक्ष में स्थानान्तरित करते हुए किया जायेगा। उपरोक्त पुनर्विनियोग संलग्न 'क' के कालम–1 के बचतों से वहन किया जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-1116 (पी)/वित्त अनु0-3/2008 दिनांक-17 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 177 /VI-I/2008-2(19)07 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. एन0आई0सी0 देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

बी०एम०15

पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2007—08

आयोजनागत

(धनराशि हजार रुपये में)

प्रशासनिक विभाग—संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड शासन — अनुदान संख्या—11

नियंत्रक अधिकारी—निदेशक संस्कृति

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधि व्यय	वित्तीयवर्ष की शेष अवधि में अनुमा. व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ—5 की कुल धन.	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ—1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या—11 2205—कला एवं संस्कृति —00 102—कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन25—कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज. सहायता 5400	—	—	5400	अनुदान संख्या—11 2205—कला एवं संस्कृति—00 001—निदेशन तथा प्रशासन 03—सांस्कृतिक कार्य निदेशालय—42- अन्य व्यय — 4000 रु.	9000	1400	संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2007—08 हेतु 42—अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष में रूपये 50.00 लाख मात्र धनराशि प्राविधानित की गयी है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य में मनाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के फलस्वरूप कम पड़ रही है। संस्कृति विभाग द्वारा वर्षभर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित किये जाने वाले पर्वों, उत्सवों, त्यौहारों तथा मेलों के अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2007—08 के लिए 42—अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष में रूपये 40.00 लाख मा. अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति की नितान्त आवश्यकता है।
	—	—	5400	4000	9000	1400	—
रू0 5400	—	—	5400				

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0एस0वाल्दिया)
उपसचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—3
संख्या—116 (P)/XXVII (3)/2007
देहरादून दिनांक—17 मार्च, 2008

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।

पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

17/3/2008
(एल.एम.पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या—177/VI-I/2008—4(13)2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर।

आज्ञा से,

(एस0एस0वाल्दिया)
उप सचिव